

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉंची/हजारीबाग/याँ०
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड रॉंची।

रॉंची, दिनांक 23/08/21

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 49S27010300106 अन्तर्गत 25 कार्यालयों को विभिन्न मदों में कुल रु 700.881 लाख (सात करोड़ अठासी हजार एक सौ मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03- मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संचाल परगना सिंचाई परियोजना	700.881

कुल आवंटित राशि -

रुपये सात करोड़ अठासी हजार एक सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध ₹ 8612.11 लाख (छियासी करोड़ बारह लाख ग्यारह हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि०16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
- सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
- कोषागार से आवंटित राशि की निकासी योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)झारखण्ड सरकार के द्वारा समय- समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जायेगा।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव(अभि०)

9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014.-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबद्धित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अध्याचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Acces No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्त नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्त नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 88

रॉची, दिनांक :- 23/08/21

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त

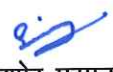

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 88

रॉची, दिनांक :- 23/08/21

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/सचिव, योजना विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पाँच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु. :- यथोक्त


(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव(अभि.)


(प्रशांत कुमार)
सचिव

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक
लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं सथल परगना सिंचाई परियोजना

पत्रांक..... दिनांक..... का अनुलनक

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2021-2022	वित्तुल शीर्ष-01-वेतन एवं नक्से	वित्तुल शीर्ष-02-प्रशासनिक व्यय										वित्तुल शीर्ष-04-मोटरगाडियां अन्य व्यय	वित्तुल शीर्ष-07-विधि प्रभार	कुल योग	अभिव्यक्ति		
			वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलवटीवशी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दफ्तर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय					इंधन एवं मरम्मत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	109.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.500	0.400 0.600	0.000 0.000	0.000 0.300	0.100 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	0.500 0.600	0.000 0.000	110.300 2.150				
2	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	48.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.000	0.600 1.000	0.000 0.000	0.300 0.000	0.100 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.600 1.100	0.000 0.000	1.800 49.300				
3	औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	85.000 15.000	0.000 0.000	0.200 0.300	0.300 0.500	0.000 0.000	0.000 0.200	0.100 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.400 0.500	0.000 0.000	86.000 16.600				
4	जलपथ अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	60.000 20.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.300 0.500	0.000 0.000	0.000 0.250	0.100 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.400 0.600	0.000 0.000	61.000 21.450				
5	रूपांकण आयोजन एवं मोनिटिंग अंचल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	88.000 22.000	0.000 0.000	0.200 0.700	0.300 0.500	0.000 0.000	0.000 0.250	0.100 0.100	0.000 0.000	0.000 0.000	0.400 0.500	0.000 0.100	89.000 24.350				
6	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	69.000 0.000	0.000 0.000	0.200 0.200	0.250 0.350	0.000 0.000	0.000 0.200	0.050 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.400	0.000 0.000	69.800 1.150				
7	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	122.000 79.000	0.000 0.000	0.000 0.500	0.250 0.400	0.000 0.000	0.000 0.200	0.050 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.700	0.000 0.300	122.800 80.800				
8	आयोजन एवं मोनिटिंग प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	160.000 20.000	0.000 0.000	0.200 0.000	0.250 0.350	0.000 0.000	0.000 0.150	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.800	0.000 0.400	160.750 21.400				
9	औरंगा निर्माण प्रमंडल, पाली पलामू	पूर्व का आवंटन अतिरिक्त आवंटन	148.000 47.000	0.000 0.000	0.200 0.760	0.250 0.400	0.000 0.000	0.000 0.200	0.050 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.300 0.500	0.000 0.200	148.800 49.060				
		अवशेष आवंटन	195.000	0.000	0.960	0.650	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.800	0.200	197.860				

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(रघुनाथ प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022		विरुद्ध शीर्ष-01-वैतन एवं नफे		विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वैतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया	वैतनादि	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रियाश्रम, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय	कुल योग	अभिवृद्धि						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
10	कदवन बाँध प्रमंडल ,नगर उँटली गढ़वा	पूर्व का आवंटन 132.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	132.800							
11	कोनार नहर प्रमंडल, बगोदर	पूर्व का आवंटन 158.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	158.750							
12	गुण निबंधन प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन 100.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	100.750							
13	गुण निबंधन प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन 55.000 अतिरिक्त आवंटन 60.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	55.800							
14	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन 185.000 अतिरिक्त आवंटन 40.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	185.800							
15	जलपथ प्रमंडल, चार्डीबासा	पूर्व का आवंटन 325.000 अतिरिक्त आवंटन 101.270	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	325.500							
16	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन 279.000 अतिरिक्त आवंटन 0.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	279.750							
17	जलपथ प्रमंडल, रौंकी	पूर्व का आवंटन 404.000 अतिरिक्त आवंटन 91.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	404.500							
18	जलपथ प्रमंडल, विष्णुपुर, पाटन	पूर्व का आवंटन 78.000 अतिरिक्त आवंटन 10.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	78.750							
19	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन 252.000 अतिरिक्त आवंटन 53.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	252.800							
		अवशेष आवंटन 305.000	0.000	0.100	0.400	0.650	0.000	0.250	0.150	0.000	0.000	0.800	0.500	307.850							

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभिनव)

(राम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभिनव)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

वित्तीय वर्ष 2021-2022				विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते				विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
क्र० सं०	कार्यालय का नाम	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि	एलएडिओसी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	क्रियाया, दरे, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	घर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां ईंधन एवं मरम्मत	विविध प्रकार	कुल योग	अभियुक्ति																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये सात करोड़ अठ्ठासी हजार एक सौ मात्र

(राजेश प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)88
23/01/21(राम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)(प्रशांत कुमार)
सचिव